संख्या–1424/XXIV(4)/2019-01(28)/2016

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी, (नैनीताल)।

2. कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय (उच्च शिक्षा विभाग),
उत्तराखण्ड।

उच्च शिक्षा अनुभाग–4

देहरादूनः दिनांक 06 सितम्बर, 2019

विषयः– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2018 विषयक अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई, 2018 के अनुसार संशोधन अधिनियम को उत्तराखण्ड राज्य में लागू/अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2018 विषयक अधिसूचना सख्या–271, दिनांक 18 जुलाई, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हत तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय सम्बन्धी विनियम, 2018 जारी/निर्गत किया गया है।

2– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड राज्य में लागू/अंगीकार किये जाने हेतु शासन स्तर पर एक समिति गठित की गयी थी। इस समिति की संस्तुति के क्रम में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2018 विषयक अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई, 2018 को संलग्न परिशिष्ट–'क' के अनुसार कतिपय संशोधनों के साथ उत्तराखण्ड राज्य में लागू/अंगीकार किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– कृपया उपर्युक्तानुसार अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त (परिशिष्ट–'क')।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्या–1424 (1)/XXIV(4)/2019-01(28)/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
7. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. कुल सचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय (केन्द्रीय) एवं समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपर्युक्तानुसार संशोधित विनियमों/नियमों के अन्तर्गत संगत परिनियमावली में आवश्यकतानुसार संशोधन कराने का कष्ट करें।
9. समस्त प्रबन्धक, अशासकीय महाविद्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा–निदेशक, उच्च शिक्षा।
10. गार्ड फाईल।

संलग्नक- यथोक्त (परिशिष्ट-'क')

आज्ञा से,

(शिव स्वरूप त्रिपाठी)
उप सचिव

C:\USER\Documents\D.S.Rawat\D.S.Rawat-Jafar Case.rtf.doc

Scanned by CamScanner

नियम	यू.जी.सी. अधिनियम, 2018	संशोधित नियम/विनियम
नियम–1.0	विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में वरिष्ठ आचार्य, आचार्यों और शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मियों के पदों के लिए न्यूनतम अर्हताएं और ऐसे पदों से संबंधित वेतनमान और अन्य सेवा शर्तों का पुनरीक्षण (व्याप्ति)	तदानुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–2	वेतनमान, वेतन निर्धारण और अधिवर्षता आयु	उप–नियम–2.0 व 2.2 को यथावत् अंगीकृत किया जाता है। पुनर्नियुक्ति संबंधी उप–नियम–2.1 राज्य सरकार के नियमों के तहत लागू किया जाता है।
नियम–3	नियुक्ति एवं अर्हतायें उप–नियम–3.1 से 3.12	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के उप–नियम–3.1 से 3.10 तथा 3.12 तद्नुसार अंगीकृत किया जाता है। उप–नियम–3.11 में अध्ययन अवकाश हेतु नियम राज्य में शिक्षकों हेतु निर्धारित अवकाश नियमों के अनुसार देय होगा।
नियम–4	सीधी भर्ती/अर्हतायें उप–नियम–4.1	कला, वाणिज्य, मानविकी, शिक्षा, विधि, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भाषाओं, पुस्तकालय विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और पत्रकारिता तथा जनसम्पर्क विधाओं के लिए सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य, विश्वविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य महाविद्यालय के प्राचार्य/आचार्य (प्राचार्य का ग्रेड) एवं उप प्राचार्य की अर्हतायें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के अनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–4	उप–नियम–4.2	संगीत, पर फार्मिंग आर्टस, विजुअल आर्टस और अन्य परम्परागत भारतीय कला स्वरूपों यथा शिल्पकला आदि के लिए सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य, की शैक्षिक अर्हता निर्धारित की गयी हैं जिनको तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–4	उप–नियम–4.3	नाट्य विद्या में सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य, की पात्रता एवं Academic Performance Indicators (APIs) निर्धारित की गयी है, इनको तद्नुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–4	उप–नियम–4.4	योग विद्या सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य, की पात्रता एवं Academic Performance Indicators (APIs) निर्धारित की गयी है, इनको तद्नुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–4	उप–नियम–4.5	पेशे से जुड़े रोजगरोपरक के शिक्षकों (सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य) के लिए अर्हता, अनुभव और अन्य पात्रता संबंधी योग्यता को

Scanned by CamScanner

		तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–4	उप–नियम–4.6	भौतिक चिकित्सा के शिक्षकों (सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य, प्राचार्य, निदेशक, संकायाध्यक्ष) की नियुक्ति के लिए अर्हता, अनुभव और अन्य पात्रता संबंधी योग्यता को तदनुसार अंगीकृत किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के अनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–4	उप–नियम–4.7	विश्वविद्यालय के सहायक पुस्तकलयाध्यक्ष/ पुस्तकालयाध्यक्ष/उप पुस्तकालयाध्यक्ष व महाविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता को तदानुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–4	उप–नियम–4.8	शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के सहायक निदेशक, उपनिदेशक एवं निदेशक (डीपीईएस) के पदों के लिए न्यूनतम अहर्ता हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के अनुभाग–4.8 के I/II/III & IV को तदानुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–5	उप–नियम–5.1 I से 5.1 IV विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य,सह आचार्य, आचार्य, वरिष्ठ आचार्य की नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन।	वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के तहत इसमें निम्न आंशिक संशोधन के साथ अंगीकृत किया जाता है, 1–कुलपति, चयन हेतु गठित समिति का अध्यक्ष होगा। 2–कुलाधिपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद जो आचार्य से कम नहीं होगा। 3–वि0वि0 की विद्या परिषद/कार्यपरिषद द्वारा तैयार किए गए विषय विशेषज्ञों के पैनल में से कुलाधिपति द्वारा नामित तीन विषय विशेषज्ञ, 4–संकाय का संकायाध्यक्ष, 5–सम्बन्धित विभाग का विभागाध्यक्ष 6–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक/महिला/ निशक्त श्रेणी से शिक्षाविद्, यदि इन श्रेणियों से संबंध रखने वाला कोई अभ्यर्थी आवेदक हो तो, और यदि उपरोक्त कोई भी सदस्य इन श्रेणियों से संबंधित नहीं हो तो उसे कुलपति द्वारा नाम निर्देशित जाएगा। चयन प्रक्रिया में पूर्ण रूप से पारदर्शिता हेतु चयन समिति के विषय विशेषज्ञों का चयन विश्वविद्यालय की विद्या परिषद (Academic Council) के द्वारा प्रस्तावित कम से कम 7 विषय विशेषज्ञों, यथा सम्भव राज्य के बाहर, की सूची में से तीन को कुलाधिपति के द्वारा नामित किया जायेगा। यही प्रक्रिया सह आचार्य, आचार्य, वरिष्ठ आचार्य के स्तर पर होने वाली चयन प्रक्रिया में अपनायी जायेगी।

Scanned by CamScanner

नियम–5	उप–नियम 5.1 V,VI, VII, निजी और संघटक महाविद्यालयों सहित महाविद्यालयों में सहायक आचार्य (Assistant Professor) सह आचार्य (Associate Professor) आचार्य (Professor) के चयन संबंधी प्रकिया।	उत्तराखण्ड राज्य में निम्न चार प्रकार की शैक्षिक संस्थायें संचालित हैं:– 1. राजकीय विश्वविद्यालय। 2. राजकीय महाविद्यालय। 3. निजी सहायता प्राप्त महाविद्यालय। 4. निजी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय । उक्त हेतु निम्न संशोधन किये जाते हैं:– 1–कैम्पस महाविद्यालयों में इन पदों पर चयन प्रक्रिया उप–नियम–5-1 I से 5.1 IV के अनुसार किया जाता है। 2–राजकीय महाविद्यालय में चयन राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किया जा रहा है। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयन हेतु यूजीसी विनियम 2018 की तालिका–3 (ख) के अनुसार Academic Performance Indicators (APIs) लागू किए जाऐंगे। वह इस हेतु वह शिक्षकों की नियुक्ति सम्बन्धी सेवा नियमावली को भी अंगीकृत करेंगे। 3–नियम–5 के 1 के V:–निजी सहायता प्राप्त महाविद्यालय में गठित बोर्ड ऑफ गर्वनर्स/कार्य परिषद/प्रबन्ध समिति को सहायक आचार्य/सह आचार्य/आचार्य के चयन हेतु Academic Performance Indicators (APIs) तालिका–2, 3 (ख) को लागू करना होगा तथा चयन समिति का गठन यू0जी0सी0 विनियम 2018 की उपधारा 5.1–V के अनुसार किया जाता है, जिसमें उच्च शिक्षा निदेशक या उनके द्वारा नामित एक सदस्य भी होगा। 4–निजी विश्वविद्यालय के लिए Academic Performance Indicators(APIs) सरकारी विश्वविद्यालय के अनुसार होंगी (तालिका–3 'क') तथा विषय विशेषज्ञ कार्य परिषद के द्वारा नामित किया जायेगा। जिसमें एक सदस्य विजिटर द्वारा भी नामित होगा। 5–निजी संस्थान में Academic Performance Indicators (APIs) तालिका–2 एवं 3 'ख' के अनुसार होगी एवं चयन समिति का गठन 5.1 के उप–भाग V, VI VII के अनुसार, जैसा कि लागू होगा, तद्नुसार होगी।
नियम–5	उप–नियम 5.1 VIII **महाविद्यालय प्राचार्य और आचार्य**	निजी महाविद्यालय/गैर सरकारी राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में चयन प्रक्रिया सैक्शन 5.1 के VIII के 'क' एवं 'ख' के अनुसार समिति का गठन किया जाता है, जिसमें एक सदस्य निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा नामित और एक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के Alumni Association का सदस्य होगा। राजकीय महाविद्यालयों के लिए वर्तमान में राज्य में प्रचलित व्यवस्था लागू रहेगी। बशर्ते

Scanned by CamScanner

		कि राज्य सरकार 25 प्रतिशत पदों पर प्राचार्यों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से, सीधी भर्ती से नियुक्त कर सकती है। प्राचार्य हेतु पात्रता विनियम 2018 के उप–नियम 4.1 V के अनुसार होंगे।
नियम–5	उप–नियम 5.1 IX शारीरिक शिक्षा, खेलकूद व पुस्तकालय के अधिकारियों के चयन हेतु प्रकिया	चयन समिति की प्रकिया तदनुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–5	उप–नियम 5.1 X शारीरिक शिक्षा, खेलकूद व पुस्तकालय के अधिकारियों के सीएसए, प्रोन्नति हेतु चयन समितियों का गठन	सैक्शन 5.1 X में जो व्यवस्था की गयी है उसमें विश्वविद्यालय के लिए X 'क' की प्रकिया होगी। राजकीय महाविद्यालय में सैक्शन 5.1 के X के 'ख' की प्रक्रिया विभाग की सेवा नियमावली के अनुसार होगी। गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के लिए एक सदस्य कुलपति एवं एक निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा नामित किया जायेगा। निजी महाविद्यालय में 5.1 के X के 'ख' के अनुसार चयन समित का गठन किया जाता है। 5.1 के X के यथा प्रस्तावित 'क', 'ग' 'ड' को अंगीकृत किया जाता है। 5.1 के X के 'ख', 'घ' 'च' को गैर सरकारी/सरकारी के लिए अंगीकृत किया जाता है। निजी विश्वविद्यालय के लिए 5.1 के X के 'ख', 'घ' 'च' विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम के अनुसार अंगीकृत किया जाता है। राजकीय महाविद्यालय को छोड़कर उप नियम 5.2 की प्रक्रिया यू0जी0सी0 विनियम 2018 के अनुसार होगी। राजकीय महाविद्यालयों में उत्तराखण्ड राज्य में राजकीय महाविद्यालयों के लिए प्रचलित नियमावली के अनुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम के सैक्शन 5.3 एवं 5.4 तद्नुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–6	उप–नियम 6.0 चयन प्रक्रिया	तद्नुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–6	मूल्यांकन मानदण्ड और कार्यविधि उप–नियम–6.1	तद्नुसार अंगीकृत किया जाता है बशर्ते राजकीय महाविद्यालय के प्रकरणों में उच्च शिक्षा निदेशालय/शासन स्तरपर प्रकरणों को राज्य सरकार द्वारा प्रचलित नियमों के तहत निष्पादित किया जाय।
नियम–6	उप–नियम–6.2–6.4	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तद्नुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–7	उप–नियम–7.1, 7.2: सम कुलपति (Pro-Vice Chancellor) का चयन	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तद्नुसार अंगीकृत किया जाता है।

Scanned by CamScanner

नियम–7	उप–नियम–7.3 कुलपति का चयन	कुलपति के चयन प्रकिया को अंगीकृत किया जाय किन्तु चयन समिति एवं सर्च कमेटी का गठन संबंधित विश्वविद्यालयों के तत्सम्यक प्रचलित एक्ट के प्रावधानों के अनुसार होगा।
नियम–8	इतर कार्यार्थ छुट्टी, अध्ययन छुट्टी, सबैटिकल छुट्टी तथा अन्य प्रकार की छुट्टियॉं।	सरकारी राजकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान प्रचलित व्यवस्था के अनुसार होगी।
नियम–9	शोध संवर्धन अनुदान	राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों तथा वितीय संसाधनों के अनुसार दिया जायेगा।
नियम–10	सी.ए.एस.के अन्तर्गत सीधी भर्ती और प्रोन्नति हेतु पिछली सेवाओं की गणना	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तद्नुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–11	परिवीक्षा और स्थायीकरण की अवधि	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तद्नुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–12	शिक्षकों के पदों का सृजन और उनको भरा जाना	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तद्नुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–13	परिशिष्ट आधार पर नियुक्तियॉं	संविदा आधार पर नियुक्ति प्रकिया/मानदेय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है। गैस्ट फैकल्टी को प्रतिवादन रूपये 500/– या समय–समय पर निर्धारित मानदेय दिया जायेगा।
नियम–14	शिक्षण के दिवस	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तद्नुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–14	प्रावकाश उप–नियम–14.2	जैसे कि राज्य सरकार के नियमों में शिक्षकों के लिए समय–समय पर लागू है।
नियम–15	कार्यभार	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तद्नुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–15	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिक्षकों के लिए अनिवार्य उपलब्धता उप–नियम–15.1	प्रतिदिन कम से कम 5 घण्टे तथा सप्ताह में 40 घण्टे की अनिवार्य उपलब्धता होगी।
नियम–16	सेवा करार और वरिष्ठता का निर्धारण	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तद्नुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–17	पेशेवर/प्रोफेशनल आचार संहिता	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तद्नुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–18	उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में मानकों को बनाए रखना	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018, विनियम को तद्नुसार अंगीकृत किया जाता है।
नियम–18	अनुदान उप–नियम–18.4	इन विनियमों में निर्धारित उपबधों के अनसुार सभी नव–नियुक्त संकाय सदस्यों को मूल शोध/कम्प्युटेशनल सुविधा स्थापित करने के लिए एक बार राज्य सरकार द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति के अनुरूप शोध अनुदान प्रदान किया जा सकता है।
नियम–19	पीएचडी/एमफिल और अन्य उच्चतर शिक्षा हेतु प्रोत्साहन उप–नियम–19.1	राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार।
नियम–19	पदोन्नति	सरकारी विश्वविद्यालयों में संबंधित

C.S.BISHT:/Documents/D S Rawat/-D S Rawat -Letter General.doc

Scanned by CamScanner

	उप–नियम–19.2	विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार तथा अन्य में यूजीसी के विनियम 2018 के अनुसार किन्तु राज्य सरकार के महाविद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार।
नियम–19	वेतन और भत्ते उप–नियम–19.3	भत्तों के संदर्भ में राज्य सरकार अपने नियमों के अनुरूप प्रदान करने की कार्यवाही करेगी।